न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
28-3-22	...पीठासीन अधिकारी ... में आरक्षण/मीटिंग के दौरे/... में ... पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 13-4-22 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
13.04.2022	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थी ने आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी के निवेदन पर प्रकरण में बहस प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.29 10:49:22 IST
Reason: SelfAttested

13/04/22
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	आरसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
32 / 2020	2020 / 235	19.10.2020	13.04.2022

उनवान प्रकरण

1. नाथूराम पुत्र मांगूराम
2. सिणगारी पत्नि मांगूराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम छिल्यावाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला – सीकर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला – सीकर।

अप्रार्थी

उपस्थित :–

श्री नाथूराम – स्वंय प्रार्थी

पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर– अप्रार्थी की ओर से

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.29 10:49:22 IST
Reason: SelfAttested

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम छिल्यावाली पटवार

13/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित खातेदारी आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 1126/1, 1136, 1137, 1138, 1141, 1143 कुल किता 6 कुल रकबा 3.4600 हैक्टर स्थित है। जिसके प्रार्थीगण काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी ने उक्त कृषि भूमियों का सीमाज्ञान दिनांक 11.06.2015 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश कमांक दिनांक 20.10.2014 की अनुपालना में पटवारी हल्का महरोली द्वारा विधिवत तरीके से सीमाज्ञान करवा लिया है। जिसकी फोटो प्रति संलग्न है। उक्त वर्णित भूमियों की प्रार्थीगण विधिवत रूपेण पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। मौके पर कोई फसल काश्त की हुई नहीं है तथा किसी भी पड़ौसी काश्तकारान् से मौके पर सीमा का कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण की खातेदारी एंव कब्जा काश्त की भूमि की पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार करवाया जाना आवश्यक एंव न्यायोचित हैं। उक्त पत्थरगढ़ी बाबत अन्य सह खातेदारान की सहमति है। जिसकी पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 11.06.2015 के अनुसार किये जाने का निवेदन प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी नं0 1 (तहसीलदार) द्वारा हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गईं। प्रार्थी ने सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढ़ी करवाई जाने वाली भूमि को मौके पर खाली होने, मौके पर कोई विवाद नहीं होने तथा उक्त भूमि के आस पड़ौस की भूमि भी मौके पर खाली होने बाबत अवगत कराते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है।

प्रकरण में बहस प्रार्थी एकपक्षी [illegible] दौरान बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम छिल्यावाली पटवार हल्का महरोली [illegible] श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित खातेदारी आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 1[illegible]/1, 1136, 1137, 1138, 1141,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.29 10:49:22 IST
Reason: SelfAttested

13/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

1143 कुल किता 6 कुल रकबा 3.4600 स्थित है। जिसका प्रार्थी काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी ने उक्त कृषि भूमियों का सीमाज्ञान दिनांक 11.06.2015 को पटवारी हल्का महरोली द्वारा विधिवत तरीके से सीमाज्ञान करवा लिया है। उक्त सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने का निवेदन प्रार्थी द्वारा किया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी पर प्रार्थी को एक पक्षीय ध्यानपूर्वक सुना। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम छिल्यावाली पटवार मण्डल महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित खातेदारी आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 1126/1, 1136, 1137, 1138, 1141, 1143 कुल किता 6 कुल रकबा 3.4600 स्थित है। जिसका प्रार्थी काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी की उक्त कृषि भूमियों का सीमाज्ञान दिनांक 11.06.2015 को पटवारी हल्का महरोली द्वारा विधिवत तरीके से सीमाज्ञान करवा दिया गया है। प्रार्थी ने पत्थरगढ़ी करवाई जाने वाली भूमि को मौके पर खाली होकर कोई विवाद नहीं होने तथा उक्त भूमि के आस पड़ौस की भूमि भी मौके पर खाली होने बाबत अवगत कराते हुए अपनी सहमति प्रदान की है। जिसके आधार पर सीमाज्ञान के अनुसार प्रकरण में पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में उचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीमाधोपुर

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को [illegible] जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का महरोली द्वारा दिनांक 11.06.2015 को किए [illegible] के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 1126/1, 1136, 1137, 1138, 1141, 1143 कुल किता 6 कुल रकबा 3.4600 तन् ग्राम छिल्यावाली पटवार मण्डल महरोली तहसील श्रीमाधोपुर की पत्थरगढ़ी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.29 10:49:22 IST
Reason: SelfAttested

13/01/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/– रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/– रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/–रूपये कुल 2100/– रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का महरोली द्वारा दिनांक 11.06.2015 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

13/04/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक 13.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/04/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.29 10:49:22 IST
Reason: SelfAttested